

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एस बी सिविल रिट याचिका संख्या 5394/2024

सुन्दर उर्फ सुन्दरलाल पुत्र गोविंदा , निवासी ग्राम सिरसी , तहसील व
जिला जयपुर।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. कजोड़ पुत्र सुआवालाल , निवासी गांव सिरसी , तहसील और
जिला जयपुर।
2. भेरूराम , गोविंदराम पुत्र
3. मोतीराम, पुत्र गोविंदराम
4. लक्ष्मीनारायण , गोविंदराम पुत्र
5. भंवरलाल , पुत्र प्रभुनारायण
6. मंगल , सुआवालाल पुत्र
7. लाडू , सुआवालाल पुत्र
8. नानू , सुआवालाल पुत्र
9. रामस्वरूप , सुआवालाल पुत्र
10. मान पुत्र चुन्नीलाल , (मृतक)
- 10/1. तीजा देवी, पत्नी मान
- 10/2. मोहन लाल, पुत्र मान
- 10/3. लालाराम , पुत्र मान
- 10/4. घीसीलाल , पुत्र मान
- 10/5. फूला देवी, पुत्री मान
- 10/6. हिना , पुत्री मान

10/7.नाथी देवी, पुत्री मान

11. मदनलाल , गुल्लाराम पुत्र

12. जगदीश , गुल्लाराम पुत्र

13. गुल्लाराम पुत्र

14. गुल्लाराम पुत्र

15. गुल्लाराम पुत्र

16. गंगा देवी, पत्नी चौथमल

17. शांति देवी पत्नी बाबूलाल यादव, ग्राम सिरसी , तहसील एवं जिला जयपुर।

18. अंजू शर्मा पत्नी ओमप्रकाश शर्मा, निवासी 171, बागदा मामा की ढाणी , सिरसी , तहसील एवं जिला जयपुर।

19. राजस्थान राज्य, तहसीलदार , जयपुर, जिला जयपुर के माध्यम से।

20. उप रजिस्ट्रार तृतीय, झोटवाड़ा पंचायत समिति , तहसील एवं जिला जयपुर।

21. रामलय पुत्र गोविंदा , निवासी ग्राम सिरसी , तहसील व जिला जयपुर।

-----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(यों) के लिए : श्री विश्वजीत मंत्री के साथ
श्री पुष्पेंद्र सिंह राणा
प्रतिवादी के लिए : श्री मनोज ओजला
श्री सुरेंद्र कुमार

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन

आदेश

18/04/2024

अवनीश झिंगन , जे (मौखिक):-

1. यह याचिका राजस्व मण्डल, अजमेर (संक्षेप में 'बोर्ड') द्वारा पुनरीक्षण याचिका संख्या 1697/2024, जिसका शीर्षक कजोड़ बनाम सुन्दर @ सुन्दरलाल है , में पारित आदेश दिनांक 14.03.2024 से व्यथित होकर दायर की गई है।
2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम , 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के अंतर्गत विभाजन और घोषणा हेतु वाद दायर किया था। आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी के अंतर्गत दायर आवेदन में, यथास्थिति बनाए रखने के लिए दिनांक 14.01.2016 का अंतरिम आदेश पारित किया गया था। दिनांक 14.01.2016 के आदेश के विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर पुनरीक्षण में, बोर्ड ने आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अंतरिम आदेश के विरुद्ध बोर्ड की पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता था।

4. याचिका के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी है और उसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता श्री मनोज ओजला कर रहे हैं , जिन्हें अग्रिम प्रति उपलब्ध करा दी गई है।

5. विद्वान वकील प्रतिवादी ने यह कहते हुए विवादित आदेश का बचाव किया कि अपीलीय प्राधिकारी गैर-कार्यात्मक था, इसलिए पुनरीक्षण दायर करने के अलावा कोई उपाय उपलब्ध नहीं था।

6. अधिनियम की धारा 230 नीचे पुनः प्रस्तुत है:

“230. बोर्ड की मामलों को मंगाने की शक्ति- बोर्ड किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा विनिश्चित किसी मामले का अभिलेख मंगा सकता है जिसमें धारा 239 के अधीन बोर्ड या सिविल न्यायालय में कोई अपील नहीं होती है और यदि ऐसा न्यायालय ऐसा प्रतीत होता है कि-

(क) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया हो जो विधि द्वारा उसमें निहित न हो; या

(ख) इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा हो ; या

(ग) अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग अवैध रूप से या भौतिक अनियमितता के साथ किया हो ।

बोर्ड यदि उचित समझे तो इस मामले में ऐसे आदेश पारित कर सकता है।

7. धारा को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि बोर्ड अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णीत ऐसे मामले का अभिलेख मंगवा सकता है जिसमें बोर्ड या किसी सिविल न्यायालय में कोई अपील नहीं होती। शक्तियों के प्रयोग की परिस्थितियों का उल्लेख खंड (क) से (ग) में किया गया है।
8. वर्तमान मामले में, यह विवादित नहीं है कि 14.01.2016 के आदेश के विरुद्ध अपील का विकल्प उपलब्ध है और यह भी कि वाद का अभी तक निपटारा नहीं हुआ है। परिणामस्वरूप, आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है क्योंकि बोर्ड को अंतरिम आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण का अधिकार नहीं है।
9. रिट याचिका स्वीकार की जाती है।
10. जीवित शिकायतों के निवारण के लिए कानून के अनुसार उपचार प्राप्त करने की स्वतंत्रता होगी ।

(अवनीश झिंगन) ,जे

सरल कुमावत /05 क्या रिपोर्ट योग्य है: हाँ

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक

उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं
निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी